सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 38 राँची, मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

------------

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2019

**संख्या-04/नि०सं०-12-31/2016 का० 10437**-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 15.06.2015 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कुल 49 पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 06.07.2015 को प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत की गई। परन्तु तत्समय निर्गत अधिसूचना में श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच) का नाम छुट गया एवं इन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति नहीं दी जा सकी । उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच) के संबंध में "तदर्थ प्रोन्नति के लिए योग्य" की अनुशंसा की गई थी।

2. श्रीमती टुडू को दी गई प्रोन्नति के लगभग डेढ़ वर्षों के बाद अंचल अधिकारी, नामकुम के कार्यावधि में नामकुम अंचल के मौजा-तुम्बागुटू में सेना के लिए अधिग्रहित भूमि के नामांतरण में अनियमितता बरतने से संबंधित मामले में विभागीय संकल्प संख्या 3793 दिनांक 21.03.2017 द्वारा श्रीमती टुडू के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 14.02.2019, 13.03.2019, 22.04.2019 एवं 14.05.2019 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्रीमती टुडू के संबंध में दिनांक 15.06.2015 के विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

4. श्रीमती टुडू द्वारा दिनांक 06.07.2015 के प्रभाव से Consequential Benefits के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. …../2019 दायर की गई है।

5. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच) को उनसे कनीय को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

6. श्री टुडू को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

7. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No.3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुधीर कुमार रंजन,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

-------------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 38 -- 50